

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 29/2023

दायर दिनांक: 21/09/2023

उनवान

1. गोविन्द कंवर उर्फ गोमदीबाई आयु 67 वर्ष पुत्री कान्हा उर्फ कन्हैयालाल पत्नी स्व. किशनगोपाल जाति मीणा निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, अटरू जिला बारां।
2. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू जिला बारां।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट

उपस्थित :-

प्रार्थिया :-विद्वान अभिभाषक श्री गौरव सिंह हाडा

अप्रार्थी :- पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 08/01/2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बरलां पटवार क्षेत्र बरलां तहसील अटरू की खाता संख्या 232 की ख०नं० 673 रकबा 0.07 है०, ख०नं० 67 रकबा 1.13 है०, ख०नं० 678 रकबा 0.45 है०, ख०नं० 682 रकबा 3.70 है०, ख०नं० 683 रकबा 2.98 है०, ख०नं० 696 रकबा 0.22 है०, ख०नं० 697 रकबा 0.06 है० किता 7 रकबा 8.61 हैं० आराजी प्रार्थिया के शामिलती खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थिया का गलत नाम गोमदीबाई पुत्री कान्हा दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। वाके ग्राम एवं माल पाडलिया पटवार क्षेत्र मुसईगुजरान तहसील अटरू की खाता संख्या 128 की ख०नं० 102 रकबा 0.52 है०, ख०नं० 105 रकबा 2.20 है०, ख०नं० 108 रकबा 0.75 है०, ख०नं० 111 रकबा 1.13 है०, ख०नं० 112 रकबा 0.70 है०, ख०नं० 113 रकबा 0.50 है०, ख०नं० 147 रकबा 1.28 है०, ख०नं० 153 रकबा 1.60 है०, ख०नं० 154 रकबा 0.76 है०, ख०नं० 243 रकबा 0.80 है०, ख०नं० 246 रकबा 0.69 है०, ख०नं० 247 रकबा 0.74 है०, ख०नं० 303 रकबा 0.08

है०, ख०नं० 305/588 रकबा 0.07 है०, ख०नं० 306 रकबा 0.28 है०, ख०नं० 307 रकबा 0.13 है०, ख०नं० 310 रकबा 0.11 है०, ख०नं० 312 रकबा 0.12 है०, ख०नं० 320 रकबा 0.08 है०, ख०नं० 367 रकबा 0.15 है०, ख०नं० 368 रकबा 0.16 है०, ख०नं० 369 रकबा 0.12 है०, ख०नं० 391 रकबा 0.16 है०, ख०नं० 434 रकबा 0.67 है०, ख०नं० 437 रकबा 0.32 है०, ख०नं० 442 रकबा 0.12 है०, ख०नं० 443 रकबा 0.17 है०, ख०नं० 446 रकबा 0.04 है०, ख०नं० 518 रकबा 1.06 है०, ख०नं० 519 रकबा 0.53 है० किता 30 रकबा 16.04 है० आराजी प्रार्थिया के शामलाती खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थिया का गलत नाम गोमदीबाई पुत्री कन्हैयालाल दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। वाके ग्राम एवं माल जिरोद पटवार क्षेत्र जिरोद तहसील अटरू की खाता संख्या 73 की ख०नं० 260 रकबा 0.19 है०, ख०नं० 350 रकबा 0.07 है०, ख०नं० 351/729 रकबा 0.04 है०, ख०नं० 352 रकबा 0.29 है०, ख०नं० 406 रकबा 1.49 है०, ख०नं० 600 रकबा 0.74 है०, ख०नं० 610 रकबा 0.64 है०, ख०नं० 620/776 रकबा 0.10 है० किता 8 रकबा 3.56 है० आराजी प्रार्थिया के शामलाती खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थिया का गलत नाम गोमदीबाई पत्नि स्व. किशनगोपाल दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम गोमदीबाई पुत्री कान्हा दर्ज है तथा प्रार्थना पत्र की मद नं० 2 में प्रार्थिया का नाम गोमदीबाई पुत्री कन्हैयालाल दर्ज हैं तथा प्रार्थना पत्र की मद नं० 3 में प्रार्थिया का नाम गोमदीबाई पत्नि स्व. किशनगोपाल दर्ज हैं। जो प्रार्थिया का गलत नाम हैं जबकि प्रार्थिया का सही नाम गोविन्द कंवर पुत्री कन्हैयालाल पत्नि स्व. किशनगोपाल हैं। प्रार्थिया के पिता व पति का स्वर्गवास होने के बाद के बाद फोती इन्तकाल खुलवाते समय प्रार्थिया के परिवार ने प्रार्थिया का बोलता नाम गोमदीबाई पुत्री कान्हा व गोमदीबाई पत्नि स्व. किशनगोपाल लिखवा दिया गया। जिससे प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गोमदीबाई पुत्री कान्हा पत्नि किशनगोपाल दर्ज हो गया। आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम गोविन्द कंवर पुत्री कन्हैयालाल पत्नि स्व. किशनगोपाल है। इसलिए प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्न हैं। प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्न भिन्न नाम होने से प्रार्थिया को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास कार्य करवाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अस्तु प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड में अपना नाम गोमदीबाई पुत्री कान्हा के स्थान पर गोविन्द कंवर पुत्री कन्हैयालाल तथा गोमदीबाई पुत्री कन्हैयालाल के स्थान पर गोविन्दकंवर पुत्री कन्हैयालाल तथा

गोमदीबाई पत्नि स्व. किशनगोपाल के स्थान पर गोविन्द कंवर पत्नि स्व. किशनगोपाल दर्ज करवाने की अधिकारी है। जिसे बिना न्यायालय की सहायता के नहीं करवाया जा सकता। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण प्रथम बार दिनांक 25.05.2023 को वादी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आवेदन करने पर जमाबन्दी में गलत नाम दर्ज से आवेदन खारिज पर तथा प्रार्थिया द्वारा कई बार अप्रार्थी क्रम 1 से नाम दुरुस्त करने का निवेदन के बावजूद भी नहीं करने पर अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाके ग्राम एवं माल जिरोद तहसील अटरू आराजी खाता संख्या 73 में प्रार्थिया का हिस्सा भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू के रहन दर्ज होने की वजह से बैंक को अप्रार्थी क्रम 2 बनाया गया हैं। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम गोमदीबाई पुत्री कान्हा के स्थान पर गोविन्द कंवर पुत्री कन्हैयालाल व प्रार्थना पत्र की मद नं० 2 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम गोमदीबाई पुत्री कन्हैयालाल के स्थान पर गोविन्द कंवर पुत्री कन्हैयालाल एवं प्रार्थना पत्र की मद नं० 3 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम गोमदीबाई पत्नि स्व. किशनगोपाल के स्थान पर गोविन्द कंवर पत्नि स्व. किशनगोपाल दुरुस्त करने का आदेश अप्रार्थी क्रम 1 को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र **Pw-1** से **Pw-3** पेश किए गए तथा बयान लेखबद्ध किए गए। अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों— नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बरलां सम्वत 2074—77 खाता संख्या 232, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल पाडलिया सम्वत 2072—75 खाता संख्या 128, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल जिरोद सम्वत 2073—76 खाता संख्या 73, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बरलां, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मुसईगुजरान,

आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, जन-आधार कार्ड, बैंक पास बुक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र कृष्णगोपाल का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम एवं माल बरलां पटवार क्षेत्र बरलां तहसील अटरू की खाता संख्या 232 की ख0नं0 673 रकबा 0.07 है०, ख0नं0 67 रकबा 1.13 है०, ख0नं0 678 रकबा 0.45 है०, ख0नं0 682 रकबा 3.70 है०, ख0नं0 683 रकबा 2.98 है०, ख0नं0 696 रकबा 0.22 है०, ख0नं0 697 रकबा 0.06 है० किता 7 रकबा 8.61 हैं० आराजी में सहखातेदार गोमदीबाई पुत्री कान्हा के स्थान पर गोविन्द कंवर पुत्री कन्हैयालाल व ग्राम एवं माल पाडलिया पटवार क्षेत्र मुसईगुजरान तहसील अटरू की खाता संख्या 128 की ख0नं0 102 रकबा 0.52 है०, ख0नं0 105 रकबा 2.20 है०, ख0नं0 108 रकबा 0.75 है०, ख0नं0 111 रकबा 1.13 है०, ख0नं0 112 रकबा 0.70 है०, ख0नं0 115 रकबा 0.50 है०, ख0नं0 147 रकबा 1.28 है०, ख0नं0 153 रकबा 1.60 है०, ख0नं0 154 रकबा 0.76 है०, ख0नं0 243 रकबा 0.80 है०, ख0नं0 246 रकबा 0.69 है०, ख0नं0 247 रकबा 0.74 है०, ख0नं0 303 रकबा 0.08 है०, ख०नं० 305/588 रकबा 0.07 है०, ख0नं0 306 रकबा 0.28 है०, ख0नं0 307 रकबा 0.13 है०, ख0नं0 310 रकबा 0.11 है०, ख0नं0 312 रकबा 0.12 है०, ख0नं0 320 रकबा 0.08 है०, ख0नं0 367 रकबा 0.15 है०, ख0नं0 368 रकबा 0.16 है०, ख0नं0 369 रकबा 0.12 है०, ख0नं0 391 रकबा 0.16 है०, ख0नं0 434 रकबा 0.67 है०, ख०नं० 437 रकबा 0.32 है०, ख0नं0 442 रकबा 0.12 है०, ख0नं0 443 रकबा 0.17 है०, ख0नं0 446 रकबा 0.04 है०, ख0नं0 518 रकबा 1.06 है०, ख0नं0 519 रकबा 0.53 है० किता 30 रकबा 16.04 है० आराजी में सहखातेदार गोमदीबाई पुत्री कन्हैयालाल के स्थान पर गोविन्द कंवर पुत्री कन्हैयालाल व ग्राम एवं माल जिरोद पटवार क्षेत्र जिरोद तहसील अटरू की खाता संख्या 73 की ख0नं0 260 रकबा 0.19 है०, ख0नं0 350 रकबा 0.07 है०, ख०नं० 351/729 रकबा 0.04 है०, ख0नं0 352 रकबा 0.29 है०, ख0नं0 406 रकबा 1.49 है०, ख0नं0 600 रकबा 0.74 है०, ख0नं0 610 रकबा 0.64 है०, ख०नं० 620/776 रकबा 0.10 है० किता 8 रकबा 3.56 हैं० आराजी में सहखातेदार गोमदीबाई पत्नी स्व० किशनगोपाल के स्थान पर गोविन्द कंवर पत्नी किशनगोपाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल बरलां पटवार क्षेत्र बरलां तहसील अटरू की खाता संख्या 232 कुल किता 7 रकबा 8.61 हैं० आराजी में सहखातेदार गोमदीबाई पुत्री कान्हा के स्थान पर गोविन्द कंवर पुत्री कन्हैयालाल व ग्राम एवं माल पाडलिया पटवार क्षेत्र मुसईगुजरान तहसील अटरू की खाता संख्या 128 कुल किता 30 कुल रकबा 16.04 हैं० आराजी में सहखातेदार गोमदीबाई पुत्री कन्हैयालाल के स्थान पर गोविन्द कंवर पुत्री कन्हैयालाल व ग्राम एवं माल जिरोद पटवार क्षेत्र जिरोद तहसील अटरू की खाता संख्या 73 के कुल किता 8 कुल रकबा 3.56 हैं० आराजी में सहखातेदार गोमदीबाई पत्नी स्व० किशनगोपाल के स्थान पर गोविन्द कंवर पत्नी किशनगोपाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू व शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा सालपुरा को भी भिजवायी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करें। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां